प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 112/2025)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्पैम और साइबर धोखाधड़ी के मुद्दों पर विनियामकों की 9वीं संयुक्त समिति (जेसीओआर) का आयोजन किया

डिजिटल सहमति प्राप्ति (Digital Consent Acquisition) पायलट सुचारू रूप से प्रगति पर, 1600 श्रृंखला कॉल को अपनाने पर बल, सभी URL, OTT लिंक, APK और SMS में भेजे जाने वाले कॉल-बैक नंबरों की अनिवार्य श्वेतसूचीकरण (Whitelisting), संस्थाओं की ब्लैकलिस्टिंग तथा प्रेषक-छोर पर उन्नत सुरक्षा उपायों पर जोर।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2025: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में विनियामकों की संयुक्त समिति (जे.सी.ओ.आर.) की बैठक आयोजित की ।

इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग (DoT), गृह मंत्रालय (MHA), उपभोक्ता कार्य मंत्रालय (MoCA) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी एक सत्र आयोजित किया गया जिसमें गूगल, मेटा, जीएसएमए और सीओएआई के साथ उपभोक्ता सशक्तिकरण, विश्वास बढ़ाने और डिजिटल संचार चैनलों के माध्यम से की जाने वाली स्पैम और धोखाधड़ी की गतिविधियों से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर चर्चा की गई।

विनियामकों की समिति ने डिजिटल सहमति अधिग्रहण के लिए पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसे 11 (ग्यारह) नामित बैंकों में लागू किया जा रहा है और भादूविप्रा और आर.बी.आई. द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। पायलट परियोजना संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रही है और इसके फरवरी 2026 तक पूरा होने की

उम्मीद है। समिति ने 22 जुलाई 2025 को आयोजित 8वीं जेसीओआर बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की और 1600-श्रृंखला संख्या योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा, छोटे किए गए यू.आर.एल. के दुरुपयोग, एस.एम.एस. में भेजे गए यू.आर.एल./ओ.टी.टी.लिंक/ए.पी.के./कॉलबैक नंबरों के अनिवार्य श्वेतसूचीकरण और काली सूची में डाली गई संस्थाओं के विवरण के प्रकाशन सहित नए कार्यसूची विषयों पर विचार-विमर्श किया। यह चर्चा उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और डिजिटल कम्युनिकेशन के ईकोसिस्टम की अखंडता को बढ़ाने के लिए विनियामक और तकनीकी उपायों पर केंद्रित थी।

विचार-विमर्श के प्रमुख परिणाम

1. समिति ने डिजिटल सहमति अधिग्रहण के लिए पायलट परियोजना के प्रायोगिक कार्य को चरणबद्ध तरीके से फरवरी 2026 तक पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।
2. समिति ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रों में 1600-श्रृंखला नंबरिंग योजना में माइग्रेशन के लिए चरणबद्ध समाप्ति समय-सीमा पर सहमति व्यक्त की। क्षेत्रीय विनियामकों ने सहमत समय-सीमा के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया।
3. समिति ने छोटे पैमाने के वित्तीय/व्यावसायिक संस्थाओं के लिए 1600 श्रृंखला जनादेश के अलग मेंडैट पर भी चर्चा की। भादूविप्रा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
4. सदस्यों ने वाणिज्यिक संचार में उपयोग किए जाने वाले सभी यू.आर.एल., ओ.टी.टी. लिंक, ए.पी.के. और कॉलबैक नंबरों की अनिवार्य श्वेतसूची की आवश्यकता पर जोर दिया। भादूविप्रा ने सदस्यों को अनुमोदित एस.एम.एस. टेम्पलेटों में इन लिंकों को टैग करके इन संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के अपने अभियान के बारे में अवगत कराया, जिसके लिए अन्य सदस्यों से गहन समर्थन की आवश्यकता होती है। सदस्यों ने इस कार्रवाई के लिए अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

5. समिति ने चर्चा की कि भादूविप्रा और दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी-अपनी वेबसाइटों पर स्पैम गतिविधियों के लिए काली सूची में डाली गई संस्थाओं की सूची प्रकाशित

करने पर विचार कर सकते हैं। यह प्रयास गलत गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं के लिए एक अतिरिक्त निवारक उपाय के रूप में कार्य करेगा।

6. समिति ने भादूविप्रा के मसौदा निर्देश पर विचार-विमर्श किया, जिसमें रीयल टाइम क्रेडिंशियल वैरीफिकेशन, ओ.टी.पी.प्रणालियों के लिए कैप्चा इंफोर्समेंट आदि उन्नत पी.ई.-अंत सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है। भादूविप्रा ने इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों से समर्थन का अनुरोध किया।

भादूविप्रा अध्यक्ष का उद्धरण

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि "डिजिटल रूप से जुड़ी अर्थव्यवस्था में, डिजिटल सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, उपभोक्ता संरक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नियामकों के बीच सहयोग सर्वोपरि है। विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर) डिजिटल संपर्क के व्यवस्थित उपयोग और स्पैम और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी मंच के रूप में काम कर रही है। समिति उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद कर रही है क्योंकि वे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। आज के निर्णय एक सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल कम्युनिकेशन ईकोसिस्टम के निर्माण के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

अतुल चौधरी
16/10/2025

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा